न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

जितेन्द्र तेली .... बनाम .... पशुपति स्वानी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं0–एम 137 /2017 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी सोनाहातु (राहे ओ०पी०) के अप्राथमिकी सं0– 37/17 दिनांक– 13-9-17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि मजदूरी करवाने को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।	
	जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।	
	अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।	
	अभिलेख तिथि 16/10/17 को उपस्थापित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	[signature] कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। [signature] 13/10/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
16/10	Both party Absent 6/11 [signature]	

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर	
06-11-17	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 27-11-17 को रखें। (हस्ताक्षर) 6/11/17	
27-11-17	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01, 02 उपस्थित क्रमांक 03 अनुपस्थित। दिनांक 15-12-17 को रखें। (हस्ताक्षर) 27/11/17	
15-12-17	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की ओर से एक संयुक्त सुलहनामा आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि उपरोक्त वाद में उभय पक्ष उपस्थित हो चुके हैं तथा न्यायालय के बाहर आपस में सलाह हो चुके हैं। यह कि आज के पश्चात उभय पक्ष में किसी प्रकार	

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
	का वाद विवाद नहीं करेंगे तथा शान्ति बनाए रखेंगे। अतः उभय पक्ष को सुलह होने का आदेश दिया जाए। उभय पक्ष के सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा वाद मे अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डु (रांची) 5/12/17 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डु (रांची)